

27.8.19

पत्रावली पेश करें। वकील श्री अनुपमिनी हैं। मूल
काद अफम चें रवी अफम हाजरी में खरिज किया जा चुका
है। अतः प्र.पत्र चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः
प्र.पत्र खरिज किया जाता है। मिथल फेंसल 25/12/2019
नंबर से काम की जाकर दालिबल पधर हो।

